



कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)
Bendrachuwa, Raigarh, Chhattisgarh, ph-07762-220741 E-mail: gmcragarh.2013@gmail.com

क्रमांक/चिकि.महा./क्रय/2023-24/4527

रायगढ़ दिनांक 03/5/23

// प्रथम निविदा सूचना //

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ माइक्रोबायोलॉजी विभाग में राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) के लिए Kits, Reagent & Glassware Items क्रय किये जाने के संबंध में दर अनुबंध (Rate Contract) करने हेतु इच्छुक फर्म/प्रदायकर्ता/डिलर/निर्माता कंपनी से खुली निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा प्रपत्र शुल्क - रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र)		
अमानत राशि (EMD) निम्नानुसार देय होगा		
के नाम से	प्रस्तुत EMD का प्रकार	अमानत राशि (EMD) रु. में
DEAN Late Shri Laxhiram Agrawal Memorial, Govt. Medical College, Raigarh (C.G.)	Demand Draft (DD) अनुसूचित बैंक से जारी किया हुआ	Kits, Reagent & Glassware Items के लिए रु. 10,000/-
निविदा प्रारंभ तिथि (निविदा प्रपत्र बिक्रय तिथि)	दिनांक 08/05/2023 समय 10:00 AM से	
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (निविदा संबंधी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा)	दिनांक 29/05/2023 समय 03:00 PM के पूर्व	
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 29/05/2023 समय 04:00 PM	

निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के वेबसाइट www.gmcragarh.edu.in पर अवलोकन कर सकते हैं एवं वेबसाइट www.gmcragarh.edu.in से आनलाईन फार्म डाउनलोड कर निविदा प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क राशि रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) की डी.डी अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के नाम से तैयार कर निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (निविदा शुल्क की राशि 1,000/- वापसी योग्य नहीं है)

अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 03/5/23

प.क्रमांक/चिकि.महा./क्रय/2023-24/4528-31

प्रतिलिपि :-

- (1) संचालनालय, जनसंपर्क विभाग रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
- (2) सदस्य क्रय समिति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचानार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) लेखा/भण्डार शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ की ओर सूचानार्थ प्रेषित।
- (4) सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ की ओर निविदा प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmcragarh.edu.in में अपलोड करने हेतु सूचानार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

निविदा की प्रक्रिया तीन चरणों में संपादित किया जावेगा। प्रथम चरण प्रीक्वालिफिकेशन, द्वितीय चरण तकनीकी बीड तथा तृतीय कामर्सिल बिड (निर्धारित प्रपत्र ANNEXURE-IV) का होगा। निविदा प्रपत्र पृथक-पृथक लिफाफा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

निविदा संबंधी समस्त लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में भरकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पी.एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय में प्रस्तुत किया जाना है तथा बड़े लिफाफा के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में "Kits, Reagent & Glassware Items" निविदा उल्लेखित होना अनिवार्य है।

अमानत राशि (EMD) एवं निविदा शुल्क

Kits, Reagent & Glassware Items का निविदा प्रस्तुत करने हेतु राशि रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) अमानत राशि (EMD) का डी.डी. अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के नाम पर एवं जो अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, लिफाफा-01 में प्रस्तुत करना होगा।

अमानत राशि के छूट हेतु - "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित) के उपनियम - 4.7" लागू होगा। अमानत राशि (EMD) का लिफाफा पहले खोला जावेगा, जिसमें योग्य पाये गये फर्मों का ही प्रीक्वालिफिकेशन बिड खोला जावेगा।

संस्था से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए लेखा शाखा में निविदा शुल्क राशि रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) जमा कर रसीद प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त रसीद या डी.डी. को लिफाफा-01 में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. **प्रथम चरण :-** प्रीक्वालिफिकेशन बिड का होगा, जिसमें निविदा के अंतर्गत फर्मों द्वारा अर्हता संबंधी दस्तावेज लिफाफा-2 में प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रथम चरण में पात्र पाये जाने पर ही द्वितीय चरण के लिये योग्य माना जावेगा।
2. **द्वितीय चरण :-** तकनीकी बिड का होगा, जिसमें निविदाकर्ता द्वारा Kits, Reagent & Glassware Items के तकनीकी दस्तावेज, प्रस्तुत सामग्री का निर्माता कम्पनी से अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र इत्यादि लिफाफा-3 में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रथम चरण में पात्र पाये जाने पर ही द्वितीय चरण के लिये योग्य माना जावेगा। द्वितीय चरण में पात्र पाये जाने पर ही तृतीय चरण के लिये योग्य माना जावेगा।
3. **तृतीय चरण :-** कामर्सिल बिड होगा, कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (ANNEXURE-IV) अनुसार लिफाफा-4 में प्रस्तुत करना होगा। कामर्सिल बिड निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटर टाईप किया हुआ होना चाहिए, प्रपत्र में उल्लेखित दर पर किसी प्रकार का काट-छाट एवं व्हाईटर का प्रयोग नहीं किया होना चाहिए। कामर्सिल बिड में त्रुटि पाये जाने पर संबंधित फर्म को निविदा से पृथक कर दिया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कामर्सिल बिड को ही स्वीकार किया जावेगा।

टीप :

- (1) फर्म द्वारा कामर्सिल बिड में उल्लेखित दर में GST and Other Tax एवं स्थल तक पहुंचाने तक सभी व्यय शामिल होगा, जिसके लिए कोई अन्य राशि देय नहीं होगा।
- (2) आवश्यकता पड़ने पर कामर्सिल बिड खोलने के पूर्व सामग्रियों का नमूना निरीक्षण/परीक्षण हेतु मांग किया जा सकता है, जिसके लाने वापस लेजाने का व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

प्रीक्वालिफिकेशन बिड लिफाफा-02 में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा -

1. फर्म पंजीयन का प्रमाण पत्र संस्थान के सील के साथ स्वहस्ताक्षरित (दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं स्थापना) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा **विगत तीन वर्ष** का आयकर रिटर्न एवं समाशोधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संस्थान के सील के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति एवं **नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न** फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संस्थान के सील के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकर्ता फर्म को **वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र** (सिर्फ ग्लासवेयर सामग्रियों को छोड़कर) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (संस्थान के सील सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. शासकीय संस्था में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (संस्थान के सील सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर का प्रमाण पत्र जो 30 लाख से अधिक का हो एवं सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण-पत्र Annexure-III में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो का राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत उपकरणों के दर से किसी अन्य शासकीय संस्था द्वारा आमंत्रित निविदा में उसी सामग्री को कम दर पर सप्लाई नहीं किया गया हो का राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
9. फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में राशि रु. 10 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

तकनीकी बीड लिफाफा (लिफाफा-03) में दर प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक शर्तें निम्न हैं :-

1. निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का तकनीकी बिड में **Annexure-II** के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. आवश्यकता पड़ने पर **प्राईज बिड खोलने के पूर्व किट्स, रिएजेंट एवं ग्लासेयर के नमूना का मांग** किया जा सकता है एवं नमूना का प्रायोगिक परीक्षण कर उपयुक्तता का निर्णय लिया जावेगा। प्रायोगिक परीक्षण में योग्य पाये जाने पर ही संबंधित निविदाकर्ता का प्राईज बिड खोला जावेगा।
3. निविदादाता फर्म को तकनीकी बीड में पात्र पाये जाने उपरांत ही प्राईज बीड के लिए योग्य माना जावेगा।
4. निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का दर प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक सामग्री का नाम, सरल क्रमांक साथ में कैटलॉग एवं तकनीकी सूची प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. निविदा में प्रस्तुत किये गये सामग्रियों के दर के साथ कम्पनी का नाम एवं जीवित अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र निम्न प्रपत्र में **जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।** निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का गुणवत्ता प्रमाण पत्र (ISI/ISO) प्रस्तुत करना निवार्य है।

S.N.	Item Name	Specification	Make/Pack Size	Authorisation Certificate (Yes/No)	Warranty	Other Technical Documents	Page No. of attached Doc.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>

नियम एवं शर्तें

1. स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ विभिन्न विभागों के लिए **Kits, Reagent & Glassware Items** क्रय हेतु आमंत्रित खुली निविदा के माध्यम होगा।
2. सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि, दर अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जावेगा एवं असफल निविदाकर्ता की अमानत राशि, निविदा दर की अंतिम तुलनात्मक सूची तैयार होने के 15 दिवस में वापस किया जावेगा।
3. विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर का प्रमाण पत्र जो 30.00 लाख से अधिक का हो एवं सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण-पत्र, Annexure-III में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. दर अनुबंध हेतु 100/- के स्टाम्प पर निविदा शर्तों के अनुसार अनुबंध संपादित कर नोटरीकृत शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (कार्यालयीन प्रारूप अनुसार)
5. निविदा दर, दर अनुबंध दिनांक से 12 महीने तक के लिए वैध रहेगा। तथा आवश्यकतानुसार क्रय समिति के अभिमत एवं अधिष्ठाता महोदय के अनुमोदन उपरांत अवधि 06 महीने तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।
6. दर अनुबंध की अवधि में किसी भी परिस्थिति में अनुमोदित दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
7. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में अविरल रूप से सामग्रियों की आपूर्ति बनाये रखने के लिए (यदि दर समान हो तो) क्रय आदेशों को एक से अधिक प्रदायकर्ताओं में विभाजित किया जा सकेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. प्राईस बीड में उल्लेखित दर में महाविद्यालय तक पहुंचाने एवं सभी करों के साथ सामग्री का दर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। पृथक से परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. दर का निर्धारण निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र (ANNEXURE-IV) के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत किया जावेगा। न्यूनतम दर के निर्धारण में अधिष्ठाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. निविदा खोलने के बाद निविदाकर्ता को लिपिकीय त्रुटिया टायपिंग त्रुटि के लिए सुधारने का अवसर नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
11. सामग्री आपूर्ति में हुए किसी भी प्रकार की क्षति का वहन निविदादाता स्वयं करेगा।
12. किट्स, रिएजेंट एवं ग्लासवेयर सामग्री मांग तथा आवश्यकतानुसार एवं शासन से समय-समय पर प्राप्त निर्देशानुसार क्रय किया जावेगा।
13. सामग्री क्रय का भुगतान शासकीय नियमानुसार सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही किया जावेगा। सामग्री आपूर्ति निर्धारित तिथि तक करना अनिवार्य होगा।
14. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री नवीनतम, नये ब्राण्ड के होने चाहिए।
15. क्रय आदेश के अनुरूप सामग्री प्रदाय नहीं किये जाने की स्थिति में प्रदायित किट्स रिएजेंट एवं ग्लासवेयर को स्वीकार नहीं करने एवं जारी क्रय आदेश निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास सुरक्षित रहेगा एवं किसी प्रकार का निर्णय सर्वमान्य रहेगा एवं स्वयं के व्यय पर सामग्री निविदाकर्ता को वापस ले जानी होगी।
16. सामग्रियों की क्रय मात्रा में आवश्यकतानुसार वृद्धि एवं कमी किया जा सकता है।
17. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) उपनियम-4.7.1 के अनुसार "निविदा में पात्र सफल निविदाकर्ता से क्रय आदेश जारी करने पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3% (तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि का मांग किया जावेगा।

18. क्रय आदेश जारी होने के तिथि से निर्धारित 30 दिवस के भीतर सामग्री आपूर्ति किया जाना होगा अन्यथा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4.13 अनुसार 2% प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी सहित समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी।
19. दर निर्धारण होने के पश्चात् न्यूनतम दर पर फर्म को क्रय आदेश जारी करने पर सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने पर जमा अमानत राशि जब्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।
20. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर खूदरा बाजार भाव तथा किसी शासकीय संस्था को प्रदाय किये गये दर से या शासन के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
21. सामग्रियों की मानक गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु अन्यत्र भेजे जाने का व्यय प्रदायकर्ता को वहन करना होगा। गुणवत्ता परीक्षण में असफल होने की स्थिति में नये बेंच की सामग्री 30 दिवस के भीतर बदलकर प्रदाय करना होगा। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उस फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा। जिस संबंध में किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
22. समस्त प्रदाय की जाने वाली किट्स, रिएजेण्ट एवं ग्लासवेयर सामग्री में Mfg. Date, Exp. Date स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है। सामग्री की अवसान तिथि 02 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।
23. निविदा में संलग्न सूची अनुसार समस्त किट्स, रिएजेण्ट एवं ग्लासवेयर सामग्रियों का क्रय आदेश जारी करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता बाध्य नहीं है। इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
24. शासकीय संस्था में न्यूनतम 02 वर्षों से आपूर्ति किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही क्रय आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य।
25. अनुबंध अवधि में यदि शासकीय आदेश/निर्माता ईकाई के द्वारा, निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की दरें कम होती है तो कम दर पर सामग्री आपूर्ति करने के लिए निविदाकर्ता वैधानिक रूप से बाध्य होगा।
26. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2022) उपनियम-4.4.3 – बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।
27. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में प्रकरण रायगढ़ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
28. निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रति में निविदाकर्ता द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं फर्म का सील मोहर होना अनिवार्य है।

2024/07/13

अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

5

प्रीक्वालिफिकेशन चेक लिस्ट -

फर्म का नाम :

.....

S.No.	Prequalification Term & Conditions	Yes/ No
01	फर्म पंजीयन का प्रमाण पत्र संस्थान के सील के साथ स्वहस्ताक्षरित (दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं स्थापना) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
02	फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न एवं समाशोधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संस्थान के सील के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
03	फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति एवं नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संस्थान के सील के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
04	निविदाकर्ता फर्म को वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सिर्फ ग्लासवेयर सामग्रियों को छोड़कर सभी सामग्रियों के लिए वैध ड्रग लायसेंस का प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (संस्थान के सील सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
05	शासकीय संस्था में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (संस्थान के सील सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
06	विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर का प्रमाण पत्र जो 30 लाख से अधिक का हो एवं सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण-पत्र Annexure-III में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
07	फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो का राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
08	निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत सामग्रियों के दर से किसी अन्य शासकीय संस्था द्वारा आमंत्रित निविदा में उसी सामग्री को कम दर पर सप्लाई नहीं किया गया हो का राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
09	फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में राशि रु. 10 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
10	निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	

क्रय समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर :

...

6

...

...

...

...

...

तकनीकी क्वालिफिकेशन चेक लिस्ट -


फर्म का नाम :

S.N.	Technical Qualification Term & Conditions	Yes/No														
01	निविदा के अंतर्गत तकनीकी बिड में सामग्रियों के दर प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत विक्रेता का जीवित प्रमाण पत्र (Authorization Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।															
02	निविदा के अंतर्गत तकनीकी बिड निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। <table border="1"><thead><tr><th>S.No.</th><th>Item Name</th><th>Specification</th><th>Make/Model</th><th>Warranty</th><th>Authorisation Certificate Yes/No</th><th>Attached Cateloge</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></tbody></table>	S.No.	Item Name	Specification	Make/Model	Warranty	Authorisation Certificate Yes/No	Attached Cateloge	1	2	3	4	5	6	7	
S.No.	Item Name	Specification	Make/Model	Warranty	Authorisation Certificate Yes/No	Attached Cateloge										
1	2	3	4	5	6	7										
03	निविदादाता फर्म द्वारा सामग्री का गुणवत्ता प्रमाण पत्र (ISI/ISO) प्रस्तुत करना निवार्य है।															

तकनीकी समिति/संबंधित विभाग से आमंत्रित सदस्य के हस्ताक्षर :

क्रय समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर :

7



On the letter pad of Chartered Accountant

This is to certify that the total turnover in the case of
M/s..... having PAN
..... is as under:

Financial Year/Period	Amount in Rupees (Figures)	Amount in Rupees (words)
2020-21		
2021-22		
2022-23		
Total		

Average = Total/3

20

8

✓

✓

✓

✓

कामर्सिल बिड – प्रपत्र

निविदा क्रमांक दिनांक

फर्म का नाम :

S.No.	Item Name	Specification	Make	Pack Size	Qty.	Unit	Rate	GST %	GST Amt.	Rate with GST	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
9

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

कार्यालय अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

Kits, Reagents, Consumables List

SN.	Items	Specification	QTY.	Unit
1	2	3	4	5
1	Hepatitis B viral load Testiong- Extraction & PCR Kits	<ul style="list-style-type: none"> • Intended use: Isolation of viral DNA • Regulatory Status: CE Certified & for In Vitro Diagnostic Use • Technique: Spin column • Type of specimen: Plasma/ Serum/ Whole Blood • Yield: >90% recovery • Pack size: 250 extractions • Contents: Spin columns, carrier RNA, Buffers, Collection tubes (2ml) • Application: Real Time PCR • Easy to use protocol • Short run time 	01	Pack
2	HAV IgM ELISA (96 tests)	<ul style="list-style-type: none"> • For invitro diagnostic use • High sensitivity and specificity • Convenient pack size 96 test/pack • Ready to use control/TMB Substrate • Breakapart wells for minimal wastage • Long shelf life – more than 15 month • Adaptable on all automated ELISA Processors • Colour coded reagents to monitor procedural steps • Short assay procedure/protocol • Easy interpretation of result 	01	Pack
3	HEV IgM ELISA (96 te	<ul style="list-style-type: none"> • For invitro diagnostic use • High sensitivity and specificity • Convenient pack size 96 test/pack • Ready to use control/TMB Substrate • Breakapart wells for minimal wastage • Long shelf life – more than 15 month • Adaptable on all automated ELISA Processors • Colour coded reagents to monitor procedural steps • Short assay procedure/protocol • Easy interpretation of result 	01	Pack
4	HBV Genotype PCR Kit	<ul style="list-style-type: none"> • Real Time PCR based • Specific detection of major HCV Genotypes (1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6) • Instruments: Compatible with Biorad CFX 96TM / Roche LC 96 • Storage: -30° ± 5° C • Short run time • No post PCR product handling • Long shelf life 	01	Pack
5	HCV Viral Load	<ul style="list-style-type: none"> • Real Time PCR based • Nucleic acid detection and quantitation of HCV Genome of Genotype 1-6 • Instruments: Compatible with Biorad CFX 96TM / Roche LC 96 • Target Sequence: Conservative region of 5'UTR sequence • Storage: -30° ± 5° C • Pack Size: 50 tests • Includes all reagents required to perform sample to result analysis • Calibrators provided for viral load calculations • Short run time • No post PCR product handling • Long shelf life 	01	Pack

SN.	Items	Specification	QTY.	Unit
1	2	3	4	5
6	HBsAg Rapid test	<p>1. Should be coated with monoclonal antibodies covering all subtypes and variants of HBsAg.</p> <p>2. The assay should be able to detect surface antigen to hepatitis B virus.</p> <p>3. Should be compatible with plasma and serum both.</p> <p>4. Adequate documents detailing the principle, components, biosafety methodologies, validity criteria, interpretation of results, performance characteristics, storage conditions, limitation of assays, manufacturing and expiry dates should be provided with each kit.</p> <p>5. The kit should have approval of the statutory authority from the country of origin.</p> <p>6. In case of imported kits it should be registered and licensed by the DCG(I).</p> <p>7. In case of indigenous manufactures should be licensed by the competent authority defined under drugs and cosmetics Act (1940) & medical devices rule 2017.</p> <p>8. The kit should have minimum shelf life of 60% or 12 months (whichever is more) at the port/place of discharge of consignees.</p> <p>9. The total procedure time shall not be more than 30 minutes.</p> <p>10. The assay component should include positive and negative control sufficient for conducting 20% of the test (10% negative and 10% positive controls) which may be provided along with the kits if not a part of the kit.</p> <p>10. The assay should have sensitivity of 100% and specificity of more than or equal to 98% as per the office order of MoHFW vide F.No. 29/Misc./4/2016-DC9650 dated 13/06/2017.</p> <p>11. The control dot/band should be able to detect the presence of human immunoglobulin and should not be just a procedural control or meant merely for checking the flow fo reagents or integrity of antigens except in lateral flow technology.</p> <p>.GENERAL SPECIFICATIONS -</p> <p>1. The manufacturer /authorized agent should ensure maintenance of cold chain during storage and transport of kits at 2-8 c . the cumulative time temperature indicator technology should be used on each kit and be pre- qualified by WHO.</p> <p>2. The pack size should be not be more than 50 tests wherein each test is individually packed.</p> <p>3. 8 kits should be supplied along with the procurement lot of which four kits will be used for validation subject to which the kits of each batch anf lot no. will be supplied to program and four kits will be retained for evaluation close to the expiry of the kit or in case of legal dispute with regards to performance of the kit as per specifird parameters.</p> <p>4. The kit will be evaluated on the above parameters by the centers approved by the program.</p>	01	Pack
7	Anti HCV Antibody Rapid test	<p>1. Should utilize recombinant and / or synthetic peptide antigens for core, NS3, NS4, and NS5.</p> <p>2. The assay should be able to detect total anti HCV antibodies.</p> <p>3. Should be compatible with plasma and serum both.</p> <p>4. Adequate documents detailing the principle, components, biosafety methodologies, validity criteria, interpretation of results, performance characteristics, storage conditions, limitation of assays, manufacturing and expiry dates should be provided with each kit.</p> <p>5. The kit should have approval of the statutory authority from the country of origin.</p> <p>6. In case of imported kits it should be registered and licensed by the DCG(I).</p> <p>7. In case of indigenous manufactures should be licensed by the competent authority defined under drugs and cosmetics Act (1940) & medical devices rule 2017.</p> <p>8. The kit should have minimum shelf life of 60% or 12 months (whichever is more) at the port/place of discharge of consignees.</p> <p>9. The total procedure time shall not be more than 30 minutes.</p> <p>10. The assay component should include positive and negative control sufficient for conducting 20% of the test (10% negative and 10% positive controls) which may be provided along with the kits if not a part of the kit.</p> <p>10. The assay should have sensitivity of 99% and specificity of more than or equal to 98% as per the office order of MoHFW vide F.No. 29/Misc./4/2016-DC(65) dated 12/07/2017.</p> <p>11. The control dot/band should be able to detect the presence of human immunoglobulin and should not be just a procedural control or meant merely for checking the flow fo reagents or integrity of antigens except in lateral flow technology.</p> <p>.GENERAL SPECIFICATIONS -</p> <p>1. The manufacturer /authorized agent should ensure maintenance of cold chain during storage and transport of kits at 2-8 c . the cumulative time temperature indicator technology should be used on each kit and be pre- qualified by WHO.</p> <p>2. The pack size should be not be more than 50 tests wherein each test is individually packed.</p> <p>3. 8 kits should be supplied along with the procurement lot of which four kits will be used for validation subject to which the kits of each batch anf lot no. will be supplied to program and four kits will be retained for evaluation close to the expiry of the kit or in case of legal dispute with regards to performance of the kit as per specifird parameters.</p> <p>4. The kit will be evaluated on the above parameters by the centers approved by the program.</p>	01	Pack

SN.	Items	Specification	QTY.	Unit
1	2	3	4	5
8	HBsAg ELISA (96 tests)	<p>1. Microplate ELISA coated with monoclonal antibodies covering all subtypes and variants of HBsAg</p> <p>2. The assay should be able to detect surface antigen to Hepatitis B virus</p> <p>3. Should be compatible with plasma and serum both.</p> <p>4. Adequate documents detailing the principle, components, biosafety methodologies, validity criteria, interpretation of results, performance characteristics, storage conditions, limitation of assays, manufacturing and expiry dates should be provided with each kit.</p> <p>5. The kit should have approval of the statutory authority from the country of origin.</p> <p>6. In case of imported kits it should be registered and licensed by the DCG(I).</p> <p>7. In case of indigenous manufactures should be licensed by the competent authority defined under drugs and cosmetics Act (1940) & medical devices rule 2017.</p> <p>8. The kit should have minimum shelf life of 60% or 12 months (whichever is more) at the port/place of discharge of consignees.</p> <p>9. All the assay component provided in the kit including positive and negative controls should be sufficient for at least 4 runs for the 96 tests provided.</p> <p>10. The assay should have sensitivity more than or equal to 99% and specificity of more than or equal to 98% as claimed by the manufacturer in the kit literature.</p> <p>11 The assay should have analytical sensitivity of detecting ≤ 0.2 IU/ml</p> <p>GENERAL SPECIFICATION 1. The manufacturer /authorized agent should ensure maintenance of cold chain during storage and transport of kits at 2-8 °C the cumulative time temperature indicator technology should be used on each kit and be pre - qualified by WHO 2. the kit size should be 96 tests/kit (in strip of 12 x8 wells) such that individual strips can be used for testing and the same are compatible with ELISA reader and washer</p> <p>3. 4 kits should be supplied along with the procurement lot of which two kits will be used for validation subject to which the kits of each batch and lot no. will be supplied to program and two kits will be retained for evaluation close to the expiry of the kit or in case of legal dispute with regards to performance of the kits as per specified parameters</p> <p>4. The kit will be evaluated on the above parameters by the centers approved by the program.</p>	01	Pack
9	HCV Genotype PCR Kit	<ul style="list-style-type: none"> • Real Time PCR based • Specific detection of major HCV Genotypes (1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6) • Instruments: Compatible with Biorad CFX 96TM / Roche LC 96 • Storage: $-30^{\circ} \pm 5^{\circ} \text{C}$ • Short run time • No post PCR product handling • Long shelf life 	01	Pack